इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 मई 2014—ज्येष्ठ 8, शक 1936

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मई 2014

क्र. डी-15-11-2014-चौदह 3.—भूतपूर्व मध्य भारत शासन ने मध्यभारत कृषि उपज मंडी विधान 2009 (क्रमांक 17 सन् 1952) की धारा 3 के अन्तर्गत जारी की गई उद्योग तथा व्यापार विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13 इन्दौर, दिनांक 9 जून 1953 द्वारा खरगोन जिले की सनावद तहसील की सनावद मंडी के क्षेत्र में अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को नियमित किया है.

''उक्त मंडी क्षेत्र'' में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 3998/3440/14-1 भोपाल, दिनांक 15-6-1966 द्वारा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा खरगोन जिले की सनावद ग्राम में स्थित खसरा नंबर 143/4 रकबा 3.44 एकड़ एवं खसरा नंबर 132/7 रकबा 0.14 कुल रकबा 3.58 एकड़ भूमि के क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित किया गया था. जो इसके पश्चात् ''उक्त प्रांगण क्षेत्र'' के नाम से निर्दिष्ट है.

''उक्त प्रांगण क्षेत्र'' में मंडी समिति द्वारा कराये गये निर्माण कार्य निम्नानुसार है, अर्थात् :—

1. 10 दुकानें खसरा नंबर 143/4	रकबा 0.02 एकड़
2. 10 दुकानें एवं स्टाफ क्वार्टर खसरा नं. 132/7	रकबा 0.14 एकड़
	कुल योग - रकबा 0.16 एकड़

अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 70 की उपधारा (1) का खण्ड (चार) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा जनहित में कृषि उपज मंडी समिति सनावद के ''उक्त प्रांगण क्षेत्र'' के वर्णित कुल 0.16 एकड़ को छोड़कर खसरा नंबर 143/4, रकबा 3.42 एकड़ को ''उक्त मंडी'' के ''उक्त प्रांगण क्षेत्र'' से वातिल (डी-नोटीफाई) करने की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 मई 2014

क्र. डी-15-11-2014-चौदह 3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29 मई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 29th May 2014

No. D-15-11-2014-XIV-3.—WHEREAS, by the Industries and Commerce Department Notification No. 145/13 Indore dated 9th June 1953 issued under section 3 of the Madhya Bharat Agricultural Produce Market Act samvat 2009 (No. 17 of 1952), the former Madhya Bharat Government had regulated the purchase & sale of Agricultural produce specified in the said Notification in the area of Sanavad Tehsil of Khargon District.

said market area in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1960 (No. 19 of 1960), The Government of Madhya Pradesh had issued Notification No. 3998/3440/14-1 Bhopal, dated 15-6-1966 declaring khasra No. 143/4 area of 3.44 acre and khasra No. 132/7 area of 0.14 acre' total area of 3.58 acre of land at village Sandavad District Khargon market yard. hereinafter referred as "said market yard".

In the above said market yard the market committee has constructed the following structures namely:—

1. 10 Shops khasra No. 143/4	area of 0.02 acre.
2. 10 Shops and staff Quarters khasra No. 132/7	area of 0.14 acre
	Total area 0.16 acre

Now, in exercise of the powers conferred by clause (iv) of sub-section 1 of section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to alter the "said market yard" by de-notifying the area of khasra No. 143/4 area of 3.42 acre retaining as detailed above an area of 0.16 acre from the total notified area of 3.58 acre.

Any objection which may be received in writing to the Principal Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, Farmer Welfare & Agriculture Development, Bhopal from any a person with respect of this notification within six weeks from the date of publication of this notification in Madhya Pradesh Gazette will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. TRIPHATI, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.